न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

(जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 57/2020

GCMS NO. : 2020/00163

–: वादीगण :–

1. बाबूलाल पुत्र देवाराम
2. गेनाराम पुत्र देवाराम
3. रूपाराम पुत्र देवाराम
4. तिजाई पुत्री देवाराम
5. कमली पुत्री देवाराम
6. नैनाई पत्नी देवाराम
7. घीसाराम पुत्र खीयाराम
8. मानाराम पुत्र खीयाराम

जातियान– सीरवी निवासीगण– बेरा गांव पायली खिनावड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. मूला वल्द हीरा के का0मु0

1/1. मांगीलाल पुत्र मूलाराम

1/2. नारायण पुत्र मूला

1/3. कालूराम पुत्र मूला

जातियान– सीरवी निवासीगण– बेरा गांव पायली खिनावड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

2. रावत पुत्र हीरा फौत के कायम मुकाम

2/1. दुर्गाराम पुत्र हीरा

2/2. लादूराम पुत्र रावत

2/3. रूकमा पुत्री रावत

2/4. केलकी पत्नी रावत

3. बुद्धा उर्फ उदा के कायम मुकाम

3/1. दानाराम पुत्र बुद्धा उर्फ उदा

3/2. भंवरीदेवी पत्नी दानाराम

4. नैना पुत्र सुजान फौत के का0मु0

4/1. भानाराम पुत्र नैना

4/2. अमरा पुत्र नैना

4/3. पांचाराम पुत्र नैना

4/4. भंवरलाल पुत्र नैना

4/5. गलकी पुत्री नैना

4/6. सुन्दरी पत्नी नैना

काना वल्द सुजान के हिस्से की भूमि के खरीददार

5. लाबूराम पुत्र जोराराम के का0मु0

5/1. भरत कुमार पुत्र लाबूराम

5/2. गोपा[illegible] जोराराम

6. [illegible] पुत्र [illegible] के का0मु0

6/1. चैनाराम [illegible] मल्लाराम

6/2. हिमताराम पुत्र मल्लाराम

6/3. सुन्दरी पत्नी मल्लाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

6/4. पुरखा पुत्र लुम्बाराम
6/5. प्रभु पुत्र लुम्बाराम
6/6. हड़मान पुत्र बुद्धाराम
6/7. माणक पुत्र बुद्धाराम
6/8. सुकड़ी पत्नी बुद्धाराम
जातियान- सीरवी निवासीगण- खिनावड़ी, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

7.तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.14.08.2020**

उपस्थितः-

1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री महेन्द्र सिंह बारहठ, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 15/03/2021**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खिनावड़ी पटवार हल्का फूलमाल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 1-08 बीघा किस्म गैर मु0 नाड़ी स्थित है जिसके एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार एवं कब्जा नहीं है प्रतिवादीगण के नाम 2/3 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज रुप में दर्ज है। वक्त सेटलमेंट के पूर्व से ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने भूमियों का आपसी बंटवाड़ा कर लिया था जिसमें बेरा गांव पायली खिनावड़ी) बेरा ध्रूव ढाणा व उसका जाव सुजा वल्द पेमा जी सीरवी के आठ सन्तान क्रमशः हीरा, उदा उर्फ बुद्धा, उमा, छोटा, छोगा, शिवदान, काना, नैना के हिस्से में रहा व बिरदा वन्द पेमा जी के हिस्से में बेरा सीरिया का जाव (मुथा वाला जाव) रहा व बिरदा वल्द पेमा जी के एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी लुम्बा वल्द बिरदा जी थे तत्पश्चात् प्रतिवादीगण, लुम्बा वल्द बिरदा जी के उत्तराधीकारी है। उक्त खसरा नम्बर 127 की भूमि दोनों उत्तरधिकारियों के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गई, जो आज दिन [illegible] इन्द्राज के रुप में चला आ रहा है। उक्त भूमि की चालु जमाबन्दी [illegible]नी प्रमाणित प्रति दावे के साथ पेश है जिसे दावे का एक [illegible] ग्राम खीनावडी के पश्चिम दिशा में चिपते ही खसरा नम्बर 133 रकबा 1-09 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा की भूमि यानि खसरा नम्बर 127 व खसरा नम्बर 133 की भूमि खीमा पुत्र पेमा जी के हक हिस्से एवं कब्जे में रही, जिनके विधिक उत्तराधिकारी वादीगण है जो आज दिन तक खसरा नम्बर 127 एवं खसरा नम्बर 133 की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है, प्रतिवादीगण जो विरदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar I
Date: 2022.01.03 11:34:20 I
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वल्द सुजान जी के विधिक उत्तराधीकारियों का इस भूमि में कभी भी कोई हक अधिकार हिस्सा नहीं रहा, ना है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 133 की चालु जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रति दावे के साथ पेश है जिसे दावे का एक भाग माना जावे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वृक्ष वंशावली के अनुसार वक्त सेटलमेंट से पूर्व व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने यानि दिनांक 15.10.1955 से पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज जो तीन सगे भाई क्रमाशः सुजा, विरदा व खीया थे उक्त तीनों भाईयों ने उस वक्त आपस में वापी भूमियों का बंटवाड़ा कर लिया व खसरा नम्बर 127 रकबा 1-08 बीघा किस्म गै0मु0 नाडी एवं खसरा नम्बर 133 रकबा 1-09 बीघा किस्म गै0मु0 बैरा की भूमि वादीगण के पूर्वज खीयाराम वल्द पेमा जी के हक हिस्से में वक्त सेटलमेंट से पूर्व से आज दिन तक वादीगण काविज है मगर गलती से सम्पूर्ण भूमि वादीगण के नाम दर्ज नहीं कर 1/3 वां हिस्सा ही रेकर्ड में दर्ज किया व प्रतिवादीगण जो बिरदा, सुजा के विधिक उत्तराधिकारी एवं उत्तराधिकारियों के खरीददार के नाम 2/3 वां हिस्सा दर्ज कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण का इस खसरा नम्बर 127, खसरा नम्बर 133 की भूमि में कभी किसी प्रकार का हक अधिकार हिस्सा व कब्जा नहीं रहा, ना है उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज होने से वादीगण इसे हटावा कर सम्पूर्ण भूमि अपने नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने के कानूनी अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादीगण को खसरा नम्बर 127 व खसरा नम्बर 133 में प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज होने का मालूम होने पर रेकर्ड को दुरूस्त करवाने हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा, तब प्रतिवादीगण ने दिनांक 05.08.2020 को वादीगण के पक्ष में 500/-रूपये के स्टाम्प पर आपसी इकरारनामा कर आपसी राजीनामा, रजाबन्दी से वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने की लिखापढी कर अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये, उक्त आपसी लिखापढी की नोटेरी से प्रमाणित प्रति दावे के साथ पेश है। तत्पश्चात् उक्त आपसी लिखापढी के आधार पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम रेकर्ड दुरूस्त करवाने का कहा- तो कुछ प्रतिवादीगण व तहसीलदार ने राजस्व रेकर्ड में ऐसा करने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी सं- 7 तहसीलदार ने कहा कि- सक्षम न्यायालय से रेकर्ड दुरूस्ती की डिक्री लाने पर ही राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जायेगी, इसलिए वादीगण वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज होने से जरिए घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती के श्रीमान् के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा है इसलिए दावा बावत् घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती खिलाफ प्रतिवादीगण के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 127 व खसरा नम्बर 133 की भूमि पर वादी द्वारा उक्त भूमि में आज दिन तक वादीगण उपयोग- उपभोग करता प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार हिस्सा नहीं है, प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के रुप में दर्ज है इसलिए बाद रेकर्ड दुरूस्ती के वादग्रस्त भूमि पर वादीगण उपयोग-उपभोग करे या इसके मुतालिक कुल काम करे या करावे, इसमें प्रतिवादीगण किसी प्रकार की उज, एजराज, नहीं करे, ना ही बाधा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दखलांदाजी, इत्यादि पैदा करे, ऐसा करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण को रूकवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है इसलिए दावा स्थायी निषेधज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण सं. सात तहसीलदार जैतारण जो भूमि धारक होने से उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। वाद हेतुक दिनांक 5.08.2020 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का आपसी लिखापढी के आधार पर रेकर्ड दुरुस्ती करवाने कहने पर अन्य कुछ प्रतिवादीगण व तहसीलदार जैतारण ने ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए वाद हेतुक ग्राम खिनावड़ी, जैतारण में पैदा हुआ, इस वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रणवाधिकार श्रीमान को प्राप्त है व अन्दर म्याद वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 1/1 मांगीलाल पुत्र मुला, 1/2 नारायण पुत्र मुला, 1/3 कालूराम पुत्र मुला, 2/3 रूकमा देवी पुत्री रावत, 4/1 भानाराम पुत्र नैना, 4/2 अमराराम पुत्र नैना, 4/5 गलकी पुत्री नैना, 4/6 सुन्दरी पुत्री नैना, 5/1 भरतकुमार पुत्र लाबूराम, 6/1 चैनाराम पुत्र मल्लाराम, 6/2 हिमताराम पुत्र मल्लाराम जातियान सीरवी निवासीगण खिनावड़ी तहसील जैतारण जिला पाली राज की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश हुआ जो सामिल मिसल है। उपरोक्त प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाब दावा में वाद पत्र के सभी कथनों को स्वीकार करते हुये निवेदन किया है कि सरहद मौजा खिनावड़ी पट्वार हल्का फुलमाल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 1-08 बीघा गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नम्बर 133 रकबा 01-09 बीघा किस्म गैर मुमकिन बैरा भूमि पर वादीगण पूर्वजों के समय से आज दिन तक काबिज है उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा व अधिकार व कब्जा नहीं है मगर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खतौनी में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम एक रोंग एन्ट्री के रूप में दर्ज है जिसे राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज किया जावें तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एतराज नहीं है व वादीगण को एक मात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ऐसी घोषणा रेकर्ड दुरुस्ती की डिक्री मय निर्णय बहक वादीगण सादिर फरमावें जिसे प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। वकील वादी ने वाद के समर्थना में साक्ष्य शपथ

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है :-

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वादपत्र प्रस्तु[illegible]दन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम खिनावड़ी पटवार हल्का फुलमाल [illegible] 127 रकबा 01-08 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाड़ी तथा खसरा संख्या 133 रकबा 01-09 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा पूर्वजों के समय से [illegible]गण के कब्जे काश्त में है। अतः जमाबन्दी से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पाबन्द किया जावें। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुये वादपत्र के कथनों एवं तथ्यों का समर्थन किया है।

2. जमाबन्दी संवत् 2075-2078 प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श-2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। प्रदर्श-3ए- 500 रूपयें स्टाम्प पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा निस्पादित आपसी इकरारनामा की प्रमाणित प्रति जिसमें उभयपक्षकारान् द्वारा यह अंकित किया है कि किसी पक्ष के बंट की भूमि में दुसरे समस्त खातेदारों के बिना हिस्से के नाम है वह जरिये दुरूस्ती के न्यायालय में कार्यवाही कर हटवायेंगें तथा इसमें कोई एतराज नहीं करेगा। वादीगण की ओर से रूपाराम पुत्र देवाराम का साक्ष्य शपथ पत्र PW-1, मानाराम पुत्र खींयाराम का साक्ष्य शपथपत्र PW-2, तथा गैनाराम पुत्र देवाराम का साक्ष्य शपथपत्र PW-3, जिनमें वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों का समर्थन किया है।

3. चुंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत करते हुये वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों एवं तथ्यों का समर्थन किया है तथा वादीगण द्वारा वांच्छित अनुतोष से भी सहमति जाहिर करते हुये यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम खिनावड़ी के खसरा संख्या 127 रकबा 01-08 बीघा एवं खसरा संख्या 133 रकबा 01-09 बीघा की भूमि पर वादीगण पूर्वजों के समय आज दिन तक काबिज है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा, कब्जा एवं अधिकार नहीं है, मगर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम एक रोंग एन्ट्री के रूप में दर्ज है। जिसे राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावें तो प्रतिवादीगण कोई आपत्ति एतराज नहीं है व वादीगण को एक मात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें ऐसी घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती की डिक्री मय निर्णय बहक वादीगण सादिर फरमावें जिसे प्रतिवादीगण स्वीकार करते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा वांच्छित अनुतोष से सहमति जाहिर कि है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादीगण का नाम भू अभिलेख से विलोपित करते हुये उनके स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करते हुये वादपत्र स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंत[illegible] 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी [illegible] होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम खिनावड़ी [illegible] जिला पाली राज0 के खसरा संख्या 127 रकबा 1-08 बीघा के अधि[illegible] अभिलेख में अंकित प्रविष्टियां ***"लुम्बा वल्द बिरदा, हीरा, बुद्धा, नैना, काना पि0 सुजान एवं लाबूराम पुत्र जोराराम"*** तथा खसरा नम्बर 133 रकबा 01-09 बीघा के अधिकार अभिलेख में अंकित प्रविष्टियां ***"दाना पुत्र उदा, भंवरी देवी पत्नी दानाराम, भरत***

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कुमार, संतोष, पि0 लाबूराम, अमराराम, भानाराम, पांचाराम, भंवरलाल, गलकी देवी, सुन्दरी देवी पि0 नैनाराम, मूला, रावत पि0 हीरा'' को विलोपित करते हुये वादीगण बाबूलाल, गेनाराम, रूपाराम, तिजाई, कमली पि0 देवाराम, नैनाई पत्नी देवाराम तथा घीसाराम, मानाराम पुत्र खींयाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। वादपत्र इसी मुताबिक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 15/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:20 IST
Reason: SelfAttested